यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून के माह 09/2017 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्नाराम, ले.प. एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 15.07.2017 से 24.07.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्रीमती हिना सलीम, पर्यवेक्षक, एवं श्री नवीन चन्द्र शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 18.09.2014 से 27.09.2014 तक श्री डी.एन. मश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से 08/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2014 से 06/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून के 25 खेलों में बलाक/बा लकाओं को प्र शक्षण प्रदान कया जा रहा है तथा, जिला स्तरीय प्रतियो गताओं एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	210.50	210.50	43.95	43.54	-	0.41
2015-16	-	-	184.18	184.18	53.93	52.54	-	1.39
2016-17	-	-	146.04	146.04	57.95	56.79	-	1.16

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1- स चव खेल, 2- अपर स चव, 3-निदेशक खेल, 4- अपर निदेशक खेल, 5- संयुक्त निदेशक खेल, 6- उप निदेशक खेल, 7- सहायक निदेशक खेल, 8- जिला क्रीड़ा अ धकारी, 9- उप क्रीड़ा अ धकारी, 10- सहायक प्र शक्षक, 11-मुख्य प्रशासनिक अ धकारी, 12- वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी, 13- प्रशासनिक अ धकारी, 14- प्रधान सहायक, 15- वरिष्ठ सहायक, 16- कनिष्ठ सहायक, 17- समूह घ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015, मार्च 2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ....., लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- जिला योजना के कार्यों पर कार्यदायी संस्था के रू. 10.92 लाख का अधिक भुगतान।

जिला धकारी देहरादून के आदेश पत्रांक 1441 /जि.यो.-खेलकूद/2015-16 दिनांक 22.03.2016 में स्पष्ट रूप से ल खत है क जिला योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टोज प्रभार नहीं काटा जायेगा। यदि कोई कार्यदायी संस्था जिला योजना के कार्यों पर सेन्टेज काटती है तो उसकी जिम्मेदारी वभागीय नोडल अ धकारी / वभागाध्यक्ष की होगी।

जिला योजना के अंतर्गत क्रीड़ा प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु वत्त वर्ष 2014-15 में रू. 120.00 लाख एवं वत्त वर्ष 2015-16 में रू. 69.19 लाख की धनरा श स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई। जिसमें से नियमानुसार आगणन में दर्शायी गयी सेन्टेज प्रभार क्रमशः रू. 7.44 लाख एवं रू. 4.47 लाख की धनरा श की कटौती कर कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून को भुगतान की जानी थी।

निर्माण कार्य संबंधी अ भलेखों की जांच में पाया गया क वर्ष 2014-15 में समस्त धनरा श रू. 120.00 लाख कार्यदायी संस्था को भुगतान कर दी गई। एवं वर्ष 2015-16 में रू. 4.47 लाख के स्थान पर रू. 0.99 लाख की कटौती कर शेष धनरा श रू. 68.20 लाख कार्यदायी संस्था को भुगतान कर दी गई। इस प्रकार कार्यदायी संस्था को वर्ष 2014-15 में रू. 7.44 लाख एवं 2015-16 में रू. 3.48 लाख (4.47-0.99) का अ धक भुगतान दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया क त्रुटिपूर्ण सेन्टेज प्रभार की कटौती नहीं की गई। एवं निर्माण एजेन्सी से सेन्टेज चार्जेज वापस लेने की प्र क्रया शुरू की जायेगी।

अतः जिला योजना के कार्यों में वभाग द्वारा निर्माण एजेंसी /कार्यदायी संस्था को रू. 10.92 लाख के अ धक भुगतान का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- अर्जित ब्याज रू. 4.69 लाख को विभागीय प्राप्ति में जमा करना।

उत्तराखण्ड शासन वत्त ऑ डट प्रकोष्ठ में पत्र सं. 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 सतम्बर 2009 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है क कोषागार से आहरित धनरा श पर अर्जित ब्याज को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049- ब्याज प्राप्तियाँ-04-राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियों -800 - अन्य प्राप्तियां - 12- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कया जाये।

कार्यालय के प्राप्तियों/राजस्व संबंधी अ भलेखों की वस्तृत जांच में पाया गया क कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वभाग को उपलब्ध करायी गई अर्जित ब्याज की धनरा श को वभाग द्वारा वभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्ष 0202-03-101-01-00 में जमा कराया गया। ववरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	दिनांक	जमा धनराशि	KD
1.	02.03.20105	36,754	P/38
2.	25.07.2015	45,047	P/34
3.	17.09.2015	2,01,766	P/32
4.	18.09.2015	63,940	P/30
5.	24.09.2015	12,362	P/28
6.	06.11.2015	35,984	P/26
7.	11.07.2016	72931	P/24-22
कुल योग		**4,68,784**	

इस प्रकार कुल 4.69 लाख की धनरा श को ब्याज प्राप्तियों के स्थान पर वभागीय प्राप्तियों में जमा कया गया। जिससे वभागीय राजस्व में रू. 4.69 लाख की वृद् ध परिल क्षत हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने उत्तर दिया क त्रुटिवश अर्जित ब्याज को वभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्ष में जमा कर दिया है और शासन से निर्देश प्राप्त कर अ ग्रम कार्रवाई की जायेगी।

वभागीय स्वीकारोक्ति के परिणास्वरूप रू. 4.69 लाख की धनरा श की अर्जित ब्याज के स्थान पर वभागीय प्राप्तियों में जमा करने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु . जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री एस.के. सार्थी	जि.क्री.अ.	05.02.14 से 12.06.17
(ii)	श्री राजेश मंमगाई	जि.क्री.अ.	13.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र